रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 410] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 9, 1993/आषाढ़ 18, 1915
No. 410] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 9, 1993/ASADHA 18, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1993

का. आ. 504(अ).—कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्र सरकार द्वारा पुष्टि कर दिए जाने पर उक्त धारा की उप-धारा (2) द्वारा अपेक्षित कयर बोर्ड द्वारा बनाई गई निम्नलिखित उप-विधियां एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती हैं अर्थात्:—

1. (1) इन उप-विधियों का संक्षिप्त नाम कयर बोर्ड सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) उप-विधि, 1993 है ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. कयर बोर्ड सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) उप-विधि, 1992 में:—

(क) "कयर उद्योग अधिनियम" शब्दों से शुरू होने वाले और "कयर बोर्ड सामान्य भविष्य निधि उपविधि 1977 में संशोधन करने" शब्दों तथा अंकों से समाप्त होने वाले आमुख के लिए निम्नलिखित आमुख रखा जाए, अर्थात्:—

"कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्र सरकार द्वारा पुष्टि कर दिए जाने पर उक्त धारा की उप-धारा (2) द्वारा अपेक्षित कयर बोर्ड द्वारा बनाई गई निम्नलिखित उप-विधियां एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती हैं, अर्थात्:—

(ख) अन्त में "एम. बी. महापात्र, संयुक्त सचिव" के पश्चात् निम्नलिखित पाद-टिप्पण जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"पाद-टिप्पण:—मुख्य उप-विधियां भारत के राजपत्र में 17 फरवरी, 1977 की अधिसूचना सं. का. आ. 702 के तहत प्रकाशित की गई थी ।"

[सं. 6(3) 86—कयर]

एम. बी. महापात्र, संयुक्त सचिव

पाद-टिप्पण:—कयर बोर्ड सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) उप-विधि, 1992, भारत के राजपत्र में 29 अप्रैल, 1992 की अधिसूचना सं. का. आ. 306 (अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Small Scale Industries & Agro and Rural Industries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 1993

S.O. 504(E).—The following Bye-laws made by the Coir Board, in exercise of the powers conferred by Section 27 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953), and confirmed by the Central Government, are hereby published, as required by sub-section (2) of the said section, namely :—

1. (1) These Bye-laws may be called the Coir Board General Provident Fund Amendment (Amending) Bye-laws, 1993.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Coir Board General Provident Fund (Amendment) Bye-laws, 1992, —

(a) for the preamble beginning with the words "In exercise of the powers" and ending with the words and figures "amend the Coir Board General Provident Fund Bye-laws, 1977, namely :—" the following preamble shall be substituted, namely :—

"The following Bye-laws made by the Coir Board, in exercise of the powers conferred by section 27 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953), and confirmed by the Central Government, are hereby published as required by sub-section (2) of the said section, namely :—"

(b) at the end, after "S.B. MOHAPATRA, Jt. Secy.", the following foot note shall be added, namely :—

"Foot Note :—The Principal Bye-laws were published in the Gazette of India vide notification number S.O. 702 dated the 17th February, 1977."

[No. 6(3)|86-Coir]

S. B. MOHAPATRA, Jt. Secy.

Foot Note :—The Coir Board General Provident Fund (Amendment) Bye-laws, 1992 were published in the Gazette of India vide notification number S.O. 306(E) dated the 29th April, 1992.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993